मध्यप्रदेश विधान सभा

जुलाई-अगस्त, 2007 सत्र

दैनिक कार्य सूची

बुधवार, दिनांक 25 जुलाई, 2007 (श्रावण 3, 1929)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री जयंत मलैया, आवास एवं पर्यावरण मंत्री :-

(क) जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 40 (7) तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 36 (7) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का लेखा परीक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2005-2006; तथा

(ख) मध्यप्रदेश गृह निर्माण मंडल (संशोधन) अधिनियम, 1998 (क्रमांक 14 सन् 1998) की धारा 74 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश गृह निर्माण मंडल का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2000-2001,
पटल पर रखेंगे.

(2) श्री नागेन्द्र सिंह, राज्यमंत्री, सामान्य प्रशासन, मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) की धारा 19 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) का तेरहवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2006 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री गजराज सिंह सिकरवार, सदस्य, मुरैना जिले के ग्राम परीक्षा के ग्रामीणों के साथ मारपीट किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री कृष्ण कुमार सिंह "भंवर साहब", सदस्य, सीधी जिला सहित प्रदेश के अनेक जिलों में वन विभाग द्वारा राजस्व विभाग को अन्तरित भूमि का अभिलेख तैयार न किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, सदस्य, रीवा जिले के -

(क) ग्राम गौरी के कन्या हाई स्कूल का उन्नयन कराये जाने,

(ख) ग्राम पिपराही के शासकीय हाई स्कूल का उन्नयन कराये जाने,

(ग) ग्राम बसिगड़ा के माध्यमिक शाला का उन्नयन किये जाने, तथा

(घ) ग्राम बिछरहटा के माध्यमिक शाला का उन्नयन किये जाने,

(2) श्री गजराज सिंह सिकरवार, सदस्य, मुरैना जिले के -

(क) ग्राम इमलिया में आंगन बाड़ी केन्द्र का भवन बनाये जाने,

(ख) ग्राम पंचायत दीखतपुर में सेवा सहकारी संस्था का भवन बनाये जाने,

(ग) ग्राम इमलिया के शासकीय माध्यमिक विद्यालय का भवन बनाये जाने,

(घ) ग्राम बरोली के तालाब का गहरीकरण किये जाने,

(ङ) ग्राम बरोली में पशु औषधालय का भवन बनाये जाने, तथा

(च) ग्राम बरोली से उम्मेदगढ़, बासीगाँव तक सड़क बनाये जाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

5. नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का वक्तव्य

श्री जयंत मलैया, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री, दिनांक 11 फरवरी, 2005 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 26 (क्रमांक 905) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे.

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री बाबूलाल गौर, वाणिज्यिक कर मंत्री, मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007 (क्रमांक 18 सन् 2007) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

निर्धारित समय

7. वर्ष 2007-2008 की प्रथम अनुपूरक मांगों पर मतदान

श्री राघवजी, वित्त मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

"दिनांक 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 1, 3, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 34, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 51, 52, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 64, 66, 67, 69, 75, 77, 78, 79 तथा 80 के लिये राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिला कर एक हजार पांच सौ छियासठ करोड़, इक्यासी लाख, छप्पन हजार, पांच सौ रुपये की अनुपूरक राशि दी जाय."

2 घन्टे

8. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री राघवजी, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक - 3) विधेयक, 2007 (क्रमांक 17 सन् 2007) का पुरःस्थापन* करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

9. प्रतिवेदन पर चर्चा ...... (क्रमशः)

2 घन्टे 30 मि. (शेष 1 घन्टा 45 मि.

मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2004-2005 पर चर्चा का पुनर्ग्रहण.

डॉ. ए.के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक 24 जुलाई, 2007

*** अनुपूरक मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत होने के तुरन्त पश्चात्.**